"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 सितम्बर 2015—आश्विन 3, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दहारी प्रसाद कन्नौजिया आत्मज स्व. मिश्री लाल कन्नौजिया, निवासी-शॉप क्रमांक 100, ए मार्केट, सेक्टर 6, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम दहारी प्रसाद रंगजाले आत्मज स्व. मिश्री लाल कन्नौजिया था. निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता परिचय पत्र में मेरा नाम दहारी प्रसाद कन्नौजिया आत्मज मिश्री लाल कन्नौजिया अंकित है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम दहारी प्रसाद कन्नौजिया रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे दहारी प्रसाद कन्नौजिया आत्मज स्व. मिश्री लाल कन्नौजिया के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
दहारी प्रसाद रंगजाले आत्मज-स्व. मिश्री लाल कन्नौजिया निवासी-शॉप क्रमांक 100, ए मार्केट सेक्टर 6, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	दहारी प्रसाद कन्नौजिया आत्मज-स्व. मिश्री लाल कन्नौजिया निवासी-शॉप क्रमांक 100, ए मार्केट सेक्टर 6, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुरेश साव बाबा पिता स्व. विष्णु साव, आयु 61 वर्ष, निवासी-606, वार्ड नं. 19, केम्प 1, उधो किराना स्टोर, वृन्दा नगर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र एवं शासकीय तथा अर्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम सुरेश साव बाबा दर्ज है जबकि मेरे पुत्र राजेश साव, मंटू साव, धरमवीर साव, उधव कुमार साव के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम हरीओम प्रसाद दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम हरीओम प्रसाद रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे हरीओम प्रसाद आ. स्व. विष्णु साव के नाम से जाना पहचाना पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सुरेश साव बाबा
आत्मज स्व. विष्णु साव
निवासी-606, वार्ड नं. 19, केम्प 1,
उधो किराना स्टोर्स, वृन्दा नगर भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

हरीओम प्रसाद
आत्मज स्व. विष्णु साव
निवासी-606, वार्ड नं. 19, केम्प 1,
उधो किराना स्टोर्स, वृन्दा नगर भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राम तत्वमसी चौधुरी आत्मज श्री धर्म बीर चौधुरी, आयु 53 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 7/9, प्रियदर्शिनी परिसर पूर्व, सुपेला भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे हायर सेकण्डरी के अंकसूची में मेरा नाम राम तत्वमसी दर्ज है एवं मेरे महाविद्यालयीन अंकसूची में मेरा नाम राम तत्वमसी चौधुरी दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम राम तत्वमसी चौधुरी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे राम तत्वमसी चौधुरी आत्मज श्री धर्म बीर चौधुरी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

राम तत्वमसी
आत्मज-श्री धर्म बीर चौधुरी
निवासी-क्वा. नं. 7/9, प्रियदर्शिनी परिसर पूर्व,
सुपेला भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

राम तत्वमसी चौधुरी
(Raam Tattwamasi Chowdhury)
आत्मज-श्री धर्म बीर चौधुरी
निवासी-क्वा. नं. 7/9, प्रियदर्शिनी परिसर पूर्व,
सुपेला भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती अंजली चौधुरी पति श्री राम तत्वमसी चौधुरी, आयु 47 वर्ष, निवासी- क्वा. नं.7/9, प्रियदर्शिनी परिसर पूर्व, सुपेला भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम अंजली रानी पण्डा पिता श्री बीरा किशोर पण्डा था जो कि मेरे शैक्षणिक अभिलेखों में दर्ज है. विवाह पश्चात मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती अंजली चौधुरी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती अंजली चौधुरी पति श्री राम तत्वमसी चौधुरी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

अंजली रानी पण्डा
पिता-बीरा किशोर पण्डा
निवासी-क्वा. नं. 7/9, प्रियदर्शिनी परिसर पूर्व,
सुपेला भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती अंजली चौधुरी
(Smt. Anjali Chowdhury)
पति-श्री राम तत्वमसी चौधुरी
(Raam Tattwamasi Chowdhury)
निवासी-क्वा. नं. 7/9, प्रियदर्शिनी परिसर पूर्व,
सुपेला भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुरजीत सिंह बल (Surjeet Singh Bal) आत्मज श्री धन्ना सिंह (Shri Dhanna Singh) उम्र 54 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-24-ए, सड़क नं. 6, सेक्टर 2, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम सुरजीत सिंह लिखा गया है जबकि मेरा सही नाम सुरजीत सिंह बल है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम सुरजीत सिंह बल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे सुरजीत सिंह बल आत्मज श्री धन्ना सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सुरजीत सिंह (Surjeet Singh)
आत्मज-श्री धन्ना सिंह
निवासी-क्वा नं. 24-ए, सड़क नं. 6, सेक्टर 2, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

सुरजीत सिंह बल
(Surjeet Singh Bal)
आत्मज-श्री धन्ना सिंह
निवासी-क्वा नं. 24-ए, सड़क नं. 6, सेक्टर 2, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमति बुधियारिन बाई पति स्व. श्री रामनाथ साहू, जाति तेली, उम्र 30 वर्ष, निवासी-वार्ड क्र. 14, शहीद चौक, सुदामा नगर दल्लीराजहरा, थाना दल्लीराजहरा, तहसील डौण्डी, जिला बालोद (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम सगनी बाई पिता श्री बुधरू था जो मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम बुधियारिन बाई रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमति बुधियारिन बाई पति स्व. श्री रामनाथ साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
सगनी बाई पिता-श्री बुधरू निवासी-ग्राम देवरी (द) थाना अर्जुन्दा जिला बालोद (छ. ग.)	बुधियारिन बाई पति-स्व. रामनाथ साहू निवासी-वार्ड क्र. 14, शहीद चौक सुदामा नगर दल्लीराजहरा थाना दल्लीराजहरा जिला बालोद (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2015

प्र. क्र./Q/ब-113 (1) /वर्ष 2014-15

क्रमांक/Q/अ.वि.अ./ट्रस्ट/2015.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री अभिनव सिंह वल्द आर. पी. सिंह साकिन शंकर नगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर द्वारा "रोटरी रायल फाउण्डेशन ट्रस्ट" पता-कक्ष क्रमांक 38, न्यू बाम्बे मार्केट, जी. ई. रोड रायपुर, तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है :-

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	"रोटरी रायल फाउण्डेशन ट्रस्ट" पता-कक्ष क्रमांक 38, न्यू बाम्बे मार्केट, जी. ई. रोड रायपुर, तहसील व जिला रायपुर.
(2)	चल संपत्ति	:	21,000/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से 09-10-2015 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 01-09-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

एस. के. अग्रवाल,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ. ग.)

गरियाबंद, दिनांक 3 अगस्त 2015

क्रमांक /सपंग /परिसमापन/2015/495 .—किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. राजिम पं. क्र. 516, वि. ख. फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/344 दिनांक 18-06-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं बी. आर. कंवर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं गरियाबंद, छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. राजिम पं. क्र. 516, वि. ख. फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. के. पाण्डेय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. फिंगेश्वर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 3 अगस्त 2015

क्रमांक /सपंग /परिसमापन/2015/496 .—हरिजन महिला फर्शी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. बासीन पं. क्र. 447, वि. ख. फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/331 दिनांक 18-06-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं बी. आर. कंवर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं गरियाबंद, छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन हरिजन महिला फर्शी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. बासीन पं. क्र. 447, वि. ख. फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. के. पाण्डेय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. फिंगेश्वर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 3 अगस्त 2015

क्रमांक /सपंग /परिसमापन/2015/497 .—प्राथमिक यातायात सहकारी समिति मर्या. धमनी पं. क्र. 156, वि. ख. फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/343 दिनांक 18-06-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं बी. आर. कंवर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं गरियाबंद, छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन प्राथमिक यातायात सहकारी समिति मर्या. धमनी पं. क्र. 156, वि. ख. फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. के. पाण्डेय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. फिंगेश्वर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 3 अगस्त 2015

क्रमांक /सपंग /परिसमापन/2015/498 .—किसान कामगार पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. बारभाठा पं. क्र. 2499, वि. ख. फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/337 दिनांक 18-06-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं बी. आर. कंवर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं गरियाबंद, छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन किसान कामगार पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. बारभाठा पं. क्र. 2499, वि. ख. फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. के. पाण्डेय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. फिंगेश्वर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 3 अगस्त 2015

क्रमांक /सपंग /परिसमापन/2015/499 .—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. फिंगेश्वर पं. क्र. 93, वि. ख. फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/338 दिनांक 18-06-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं बी. आर. कंवर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं गरियाबंद, छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. फिंगेश्वर पं. क्र. 93, वि. ख. फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. के. पाण्डेय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. फिंगेश्वर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 3 अगस्त 2015

क्रमांक /सपंग /परिसमापन/2015/500 .—हरिजन खदान कामगार सहकारी समिति मर्या. बासीन पं. क्र. 87, वि. ख. फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/336 दिनांक 18-06-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं बी. आर. कंवर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं गरियाबंद, छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन हरिजन खदान कामगार सहकारी समिति मर्या. बासीन पं. क्र. 87, वि. ख. फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. के. पाण्डेय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. फिंगेश्वर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 3 अगस्त 2015

क्रमांक /सपंग /परिसमापन/2015/501 .—मौली श्रमिक फर्शी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. बासीन पं. क्र. 373, वि. ख. फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/334 दिनांक 18-06-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं बी. आर. कंवर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं गरियाबंद, छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन मौली श्रमिक फर्शी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. बासीन पं. क्र. 373, वि. ख. फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. के. पाण्डेय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. फिंगेश्वर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 3 अगस्त 2015

क्रमांक /सपंग /परिसमापन/2015/502 .—कामगार फर्शी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. बिनौरी पं. क्र. 368, वि. ख. फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/333 दिनांक 18-06-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं बी. आर. कंवर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं गरियाबंद, छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन कामगार फर्शी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. बिनौरी पं. क्र. 368, वि. ख. फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. के. पाण्डेय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. फिंगेश्वर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 3 अगस्त 2015

क्रमांक /सपंग /परिसमापन/2015/503 .—गुरू घासीदास फर्शी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. बासीन पं. क्र. 136, वि. ख. फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/332 दिनांक 18-06-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः मैं बी. आर. कंवर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं गरियाबंद, छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन गुरू घासीदास फर्शी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. बासीन पं. क्र. 136, वि. ख. फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. के. पाण्डेय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. फिंगेश्वर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बी. आर. कंवर,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उ. ब. कांकेर (छ. ग.)

कांकेर, दिनांक 31 अगस्त 2015

क्रमांक /उपकां /परिसमापन/2015/967 .—कार्यालयीन पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012-13/76 दिनांक 02-02-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2012/236/दिनांक 20-03-2013 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2014/516 दिनांक 20-07-2014 पत्र क्र./उपकां/परिसमापन/2015/198/दिनांक 19-03-2015 के द्वारा बुलबुल महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. कांकेर पंजीयन क्र. 472 को उद्देश्यों की पूर्ति न किये जाने तथा अकार्यशील होने के आधार पर परिसमापन में क्यों न लाये जावे का कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर लिखित जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था परन्तु संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोसायटी को कुछ नहीं कहना है. उक्त सोसायटी अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही है, जो सोसायटी को परिसमापन में लाने का पर्याप्त और ठोस आधार है. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं एस. एल ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां कांकेर, छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत पंजीयक की प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-2/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त सोसाइटी को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री सी. एस. ठाकुर, स. निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31-08-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. ध्रुव,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2015

क्रमांक /परि./2015/2926 .—आवासहीन गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. अमेरी, बिलासपुर विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर, पं. क्र. 77 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/1588 दिनांक 09-06-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत आवासहीन गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. अमेरी, बिलासपुर विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर, पं. क्र. 77 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री जी. पी. बिन्द, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2015

क्रमांक /परि./2015/2927 .—प्रगति प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या. शंकरनगर, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, पं. क्र. 3400 दिनांक 24-06-1995 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/2485 दिनांक 20-08-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/ उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत प्रगति प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या. शंकरनगर, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, पं. क्र. 3400 दिनांक 24-06-1995 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री जी. डी. पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक, वि. ख. बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2015

क्रमांक /परि./2015/2928 .—आर्या गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, पं. क्र. 54 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/1594 दिनांक 09-06-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/ उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत आर्या गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बिलासपुर विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, पं. क्र. 54 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री जी. पी. बिन्द, सहकारी निरीक्षक, को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

डी. आर. ठाकुर,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.